



पत्रांक:- 3540/241/NULM/तीन/2001(SUH)VOL-II

दिनांक 26/12/2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उ०प्र० शासन।

**विषय :राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना"
के सम्बन्ध में।**

महोदय,

भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय यू०पी०ए० डिवीजन के कार्यालय ज्ञाप संख्या F.No K14011/1/2013-UPA दिनांक 24 दिसम्बर 2014 के द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पूर्व में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को परिवर्तित कर "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" का शुभारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना हेतु भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप K-14014/58(19)/2012-USD दिनांक 13.12.2014 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। सन्दर्भ हेतु योजना के दिशा-निर्देश संलग्न है।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उ०प्र० में क्रियान्वयन हेतु नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासनादेश संख्या 1926/69-1-14(104)/2013 दिनांक- 28.02.2014 द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ०प्र० को नोडल एजेन्सी तथा निदेशक सूडा को मिशन निदेशक नामित किया गया है।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय" योजनान्तर्गत नये शेल्टर होम के निर्माण एवं पूर्व में संचालित/किसी भी भवन को अपग्रेड कर नियमानुसार शेल्टर होम बनाये जाने का भी प्राविधान है। इसके साथ ही शेल्टर होम के संचालन व्यवस्था हेतु 5 वर्षों तक रू० 6.00 लाख प्रति वर्ष की दर से दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत वित्तीय व्यवस्था में केन्द्रांश 75% तथा राज्यांश 25% है।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless) (SUH) का मुख्य उद्देश्य शहरी बेघर गरीबों को बुनियादी सुविधाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय सातों दिन चौबीसों घंटे और सभी मौसम के लिए स्थाई रूप से निर्मित किए जायेंगे। प्रत्येक आश्रय, 50 अथवा 100 व्यक्तियों के आश्रय हेतु निर्मित किये जायेंगे। निर्मित किये जाने वाले आश्रयों में प्रत्येक व्यक्ति हेतु कम से कम 50 वर्ग फिट का स्थान उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है। ऐसे आश्रयों में जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्युत, रसोई/खाना बनाने का स्थान, स्नानागृह सामान्य मनोरंजन स्थल, सुरक्षा जैसी बुनियादी सामान्य सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इसके साथ ही आश्रय में रहने वालों के इन्टाइटिलमेंट लिक्विडेशन (आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ संपर्क, बाल परिचर्या सुविधाएं और अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम) हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय के आधार पर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आश्रय गृहों के निर्माण हेतु वरीयता के क्रम में डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के निरन्तर निर्देश शासन और सूडा स्तर से चयनित शहरों को निर्गत किये जा रहे हैं।



दूरभाष-2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ

नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

5. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है, जिस पर समय-समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु कड़े आदेश दिये जा रहे हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ प्रदेश में बस स्टैण्डों में शैल्टर होम के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि/अपग्रेड किये जाने वाले भवनों की उपलब्धता के संबंध में सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही सम्बन्धित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उक्त सूचना, सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा, नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारियों को भी तत्काल उपलब्ध करायें, ताकि अधिक से अधिक आश्रयहीन व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके।

संलग्नक:- ध्वेष्यक्त

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक- तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबंधन इकाई, उ0प्र0।
6. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा उत्तर प्रदेश।
- ✓ 7. श्री योगेश आदित्य, सहायक वेबमास्टर सूडा को ईमेल से प्रेषण एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक